न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

उपस्थितः– श्वेता दीक्षित (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP01645)

सत्र वाद संख्या– 612/2021

सरकार बनाम मयंक।

दिनांकः– 23.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त मयंक उपस्थित। अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र 7 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा त्रुटिवश आरोप पत्र में पीड़िता कु० शिवानी को साक्षी नहीं बनाया गया है। पीड़िता को साक्ष्य के लिये समन किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

विद्वान विशेष अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता को गवाहान सूचि में गवाह नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण पोक्सो अधिनियम से संबंधित है तथा पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों में पीड़िता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी होती है। अतः ऐसी स्थिति में पीड़िता को बतौर अभियोजन साक्षी तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। पीड़िता कु० शिवानी पुत्री संजय, निवासी ग्राम टियाला, थाना हापुड़ देहात बतौर अभियोजन साक्षी नियत दिनांक हेतु तलब हो। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत दिनांक 12.03.2024 को पेश हो।

दिनांकः– 23.02.2024

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2024.02.27 16:08:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court